प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 105/22 दिनांक – 31.03.2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7,
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – ....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 586 समय – 2:50 pm
   ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 30.03.2022 समय –12.42 पी.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 25.03.2022 समय – 04.40 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 120 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेंर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – मानसिंह (ब) पिता/पति का नाम – श्री सवाईसिंह
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 35 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय – खेतीबाडी व ट्रेक्टर चालक,
   (र) पता – ग्राम सराणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेंर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 5,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............ कोई नहीं..........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

सेवा में,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
विशेष ईकाई जोधपुर

विषय :– रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।

महोदयजी,

सविनय नम्र निवेदन यह है कि मानसिह पुत्र श्री सवाईसिह उम्र 35 वर्ष निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर का रहने वाला हूं। आज से 4–5 दिवस पूर्व मेरे गांव से बबुल की सुकी लकड़ियां ट्रेक्टर में भरकर बालोतरा में बेचने जा रहा था, तब पुलिस थाना बालोतरा के स्टॉफ श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक ने लकड़ी से भरा हुआ ट्रेक्टर रूकवाया व मुझे व ट्रेक्टर को थाने ले जाने लगा तब मेंने कहां कि ये लकड़िया में मेरे खेत से लेकर आया हूं। श्री चुतराराम ने मुझसे 5000 रूपये रिश्वत के रूप में मांगे। मेरी जेब में एक हजार रूपये था वो उसने जबरदस्ती हाथ डालकर ले लिया फिर मौके से ट्रेक्टर को छोड़ते हुए कहां कि 5000 रूपये की व्यवस्था कर के ले आना, नहीं तो बालोतरा में ट्रेक्टर आने नहीं दूंगा एवं आगे धंधा करना हो तो 10,000 रूपये मासिक रिश्वत की व्यवस्था भी कर लेनी, नहीं तो लकड़ी बेचने का धंधा नहीं करने दूंगा। श्रीमान श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक मुझे मेरे मोबाईल पर पिछले 2–3 दिन से अपने मोबाईल नम्बर 9530437889 से कॉल करके मुझे पैसे लेके थाने बुला रहा है व पैसे नहीं देने पर मुझे गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है। श्रीमान मैं श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बालोतरा को अवैध तरीके से मांगी जा रही रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री चुतराराम से कोई व्यक्तिगत दूश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरे परिचय पत्र की फोटोप्रति पेश कर रहा हूं।

दिनांकः– 25.03.2022

सही/– श्री विनोद कच्छवाह स्वतन्त्र गवाह	सही/– श्री मनीष विश्नोई स्वतन्त्र गवाह	सही/– डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर	सही/– श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण	सही/– मानसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी सरणा महसील पचपदरा जिला बाड़मेर मो. न. 8890351893

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 25.03.2022 समय 04.40 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री मानसिंह पुत्र श्री सवाईसिह उम्र 35 वर्ष निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर का रहने वाला हूं। आज से 4–5 दिवस पूर्व मेरे गांव से बबुल की सुकी लकड़ियां ट्रेक्टर में भरकर बालोतरा में बेचने जा रहा था, तब पुलिस थाना बालोतरा के स्टॉफ श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक ने लकड़ी से भरा हुआ ट्रेक्टर रूकवाया व मुझे व ट्रेक्टर को थाने ले जाने लगा तब मेंने कहां कि ये लकड़िया में मेरे खेत से लेकर आया हूं। श्री चुतराराम ने मुझसे 5000 रूपये रिश्वत के रूप में मांगे। मेरी जेब में एक हजार रूपये था वो उसने जबरदस्ती हाथ डालकर ले लिया फिर मौके से ट्रेक्टर को छोड़ते हुए कहां कि 5000 रूपये की व्यवस्था कर के ले आना, नहीं तो बालोतरा में ट्रेक्टर आने नहीं दूंगा एवं आगे धंधा करना हो तो 10,000 रूपये मासिक रिश्वत की व्यवस्था भी कर लेनी, नहीं तो लकड़ी बेचने का धंधा नहीं करने दूंगा। श्रीमान श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक मुझे मेरे मोबाईल पर पिछले 2–3 दिन से अपने मोबाईल नम्बर 9530437889 से कॉल करके मुझे पैसे लेके थाने बुला रहा है व पैसे नहीं देने पर मुझे गिरफ्तारी की धमकी दे रहा है। श्रीमान मैं श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बालोतरा को अवैध तरीके से मांगी जा रही रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री चुतराराम से कोई व्यक्तिगत दूश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरे परिचय पत्र की फोटोप्रति पेश कर रहा हूं।" परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री मानसिंह को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई व श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व परिवादी श्री मानसिंह का आपसी परिचय करवाया गया।

वक्त 05.20 पी.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को सुपर्द कर परिवादी श्री मानसिंह व आरोपी श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री मानसिंह एवं श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को कार्यालय से परिवादी के साथ सत्यापन हेतु बालोतरा रवाना किया गया।

दिनांक 26.03.2022 वक्त 01.18 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिह कानि. कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा श्री रामचन्द्रसिंह कानि ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं एवं परिवादी कार्यालय से रवाना होकर बालोतरा पहुचे। रात्री होने के कारण सत्यापन होने में दिक्कत आने के कारण सत्यापन नहीं हुआ। आज दिनांक को वक्त 8.52 ए.एम. पर परिवादी मानसिह को सत्यापन हेतु आरोपी चुतराराम स.उ.नि. पुलिस के क्वाटर में भेजा जो वक्त 09.11 ए.एम. पर परिवादी मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मुझसे श्री चुतराराम सउनि ने 5000/– रूपये की रिश्वत की मांग की है। जिस पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर को सूचना दी। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी श्री मानसिंह को रिश्वति राशि की व्यवस्था करने एवं उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बरतने एवं आरोपी का फोन आने पर सूचित करने की हिदायत देकर परिवादी मानसिंह को बालोतरा छोड़कर कार्यालय उपस्थित आया।" कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया गया। जिसपर मेरे द्वारा उक्त रिकार्डिंग सुनी गई जिसमें मांग सत्यापन स्पष्ट पाया गया। रिकार्डर को सुरक्षा की दृष्टि से मेरे पास सुरक्षित रखा। आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी एवं परिवादी के रिश्वति राशि के साथ उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 28.03.2022 वक्त 04.50 पी.एम. पर परिवादी श्री मानसिंह का कानि. रामचन्द्रसिह 432 के मोबाईल नम्बर 9413249784 पर परिवादी मानसिह के मोबाईल नम्बर 8890351893 से सम्पर्क बताया कि आरोपी द्वारा लकड़ी का ट्रेक्टर पहले छोड़ा था उसके एवज में कल दिनांक 29.03.2022 को सुबह 5000/– रूपये लेकर बुलाया। जिस पर कानि. रामचन्द्रसिह ने उक्त सूचना मुझे दी गयी। जिस पर परिवादी मानसिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/– रूपये की व्यवस्था कर लाने हेतु कहां गया तथा कल दिनांक 29.03.2022 को वक्त 06.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत दी गयी।

वक्त 05.15 पी.एम. पर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर के नाम तहरीर क्रमांक 475 दिनांक 28.03.2022 जारी कर गवाह तलबी हेतु तहरीर खनि अभियंता कार्यालय जोधपुर को उनके मोबाईल नम्बर 9460595312 पर भेजी गई।

वक्त 05.30 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर दिनांक 29.03.2022 को प्रस्तावित अन्य गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में व्यस्त होने एवं परिवादी के कथनानुसार उक्त ट्रेप कार्यवाही भी दिनांक 29.03.2022 को ही सम्भावित होने एवं कार्यालय में मन् अति. पुलिस अधीक्षक के अलावा अन्य अनुसंधान अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त ट्रेप कार्यवाही हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी की आवश्यकता होने से हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को अर्ज कर श्री आमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को ट्रेप कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया।

वक्त 05.36 पी.एम. पर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर के निर्देशानुसार श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल वार्ता कर इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 05.55 पी.एम. पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण मन् अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हे गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का वॉयस रिकार्डर जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है, को सूपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 06.00 पी.एम. पर पूर्व से तलबीशुदा स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा उपस्थित आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय करने पर उन्होने बारी–बारी अपना परिचय श्री विनोद कच्छवाहा पुत्र श्री पृथ्वीसिंह कच्छवाहा जाति माली उम्र 33 साल निवासी सिघीयों की गली, पोस्ट ऑफिस के सामनें, सूरसागर जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8769148077 तथा श्री मनीष कुमार बिश्नोई पुत्र श्री बाबूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई उम्र 26 साल निवासी ग्राम बंजरंग नगर ग्राम पंचायत सुरपुरा पोस्ट मालमसिंह की सीढ तहसील बाप जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9772512626 के रूप में दिया। जिन्हें बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाकर परिवादी की रिपोर्ट मय दस्तावेज का अवलोकन करवाकर हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनों ने अग्रिम कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति दी। उक्त दोनो गवाह को कल दिनांक 29.03.2022 को वक्त 6.00 ए.एम. पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया एवं ब्यूरो टीम की आवश्यकता होने से उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण से ब्यूरो जाब्ता मय ट्रेप बाक्स एवं श्री प्रेमसिह कानि. चालक भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर शहर को कल दिनांक 29.03.2022 को वक्त 05.30 ए.एम. पर ए.सी.बी. कार्यालय एसयू जोधपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 29.03.2022 वक्त 05.30 ए.एम. पर भ्र.नि.ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण से श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमार सिह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री अमरसिह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110 मय ट्रेप बाक्स के कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर उपस्थित आये।

वक्त 05.45 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान श्री विनोद कच्छवाहा पुत्र श्री पृथ्वीसिंह कच्छवाहा जाति माली उम्र 33 साल निवासी सिघीयों की गली, पोस्ट ऑफिस के सामनें, सूरसागर जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर तथा श्री मनीष कुमार बिश्नोई पुत्र श्री बाबूराम बिश्नोई जाति बिश्नोई उम्र 26 साल निवासी ग्राम बंजरंग नगर ग्राम पंचायत सुरपुरा पोस्ट मालमसिंह की सीढ तहसील बाप जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर व परिवादी श्री मानसिह पुत्र श्री सवाईसिह उम्र 35 वर्ष निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर एवं भ्र. नि.ब्यूरो जोधपुर शहर से श्री प्रेमसिह कानि. ड्राईवर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू जोधपुर में उपस्थित आये।

वक्त 06.00 ए.एम. पर दोनों गवाहान एवं परिवादी का परिचय करवाया जाकर रू–ब–रू परिवादी श्री मानसिंह पुत्र श्री सवाईसिह उम्र 35 वर्ष निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहां गया जिस पर परिवादी श्री मानसिंह ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपये के 10 नोट, कुल राशि 5,000 रूपये पेश किये। श्री अर्जुनसिह कानि. नम्बर 319 से कार्यालय हाजा के

मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उक्त 5000 रूपये के नोटो पर श्री अर्जुनसिंह कानि. नम्बर 319 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री मानसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री विनोद कच्छवाहा से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 8890351893 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 5000 रूपये जो श्री चुतराराम स.उ.नि. को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री मानसिंह के पहने हुए कमीज के सामनें की उपर की बांयी जेब में श्री अर्जुनसिंह कानि. नम्बर 319 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मानसिह को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछें अपना हाथ दो बार फेरे या श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432 के मोबाईल नं. 9413249784 पर रिश्वती राशि आदान--प्रदान होने पर मैं आसोतरा ब्रहमा मन्दिर जाउंगा, लेट हो जाउंगा कह देना। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री अर्जुनसिह कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाले श्री अर्जुनसिह कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों एवं दोनों सफेद लिफाफो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाले श्री अर्जुनसिह कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। अब तक की कार्यवाही के हालात उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को निवेदन किये जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 07.00 ए.एम. पर मन् अमराराम पुलिस निरीक्षक मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमार सिह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री अमरसिह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110, रामचन्द्रसिह कानि. 432 मय दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 मय चालक श्री प्रेमसिह ड्राईवर कानि. 535 के ब्यूरो कार्यालय का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर से बालोतरा के लिए रवाना हुए।

वक्त 09.50 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का कार्यालय से रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायन के समय 09.10 ए.एम. पर सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा के विश्राम गृह के पास पहुंचा। आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बर 8890351893 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9530437889 पर वक्त 09.13 ए.एम. पर रूबरू गवाहान के परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवायी जाने पर आरोपी ने स्वयं का बालोतरा से बाहर होना व स्वयं का सायं 05.00 बजे के बाद पुलिस थाना बालोतरा में पहुंचना बताया। आरोपी उपस्थिति बालोतरा में नहीं होने के कारण बालोतरा से अन्यत्र गोपनीय स्थान पर मुकीम रहने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के बालोतरा से रवाना हुआ। आरोपी उपस्थिति बालोतरा में नहीं होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के इन्तजार में गोपनीय स्थान पर पहुंच संदिग्ध के पुलिस थाना बालोतरा में पहुंचने के इन्तजार में ब्यूरो के वाहन को गोपनीय रूप से खड़ा कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय स्थान पर मुकीम रहे। मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के गोपनीय स्थान से पुलिस थाना बालोतरा पहुंचने के लिए जरिये सरकारी वाहन से समय 05.00 पी.एम. पर रवाना हुए। मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान के परिवादी सहित पुलिस थाना बालोतरा के पास पहुंच गोपनीय रूप से संदिग्ध श्री चुतराराम स.उ.नि. की उपस्थित ज्ञात करने पर श्री चुतराराम स.उ.नि. कस्बा बालोतरा में ही उपस्थित होने की जानकारी मिलने पर ब्यूरो के वाहन को गोपनीय स्थान पर खड़ा कर सभी जाब्ता अलग–अलग स्थान पर पुलिस थाना बालोतरा के आस पास अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़े रहे। तक आरोपी श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पुलिस थाना बालोतरा में नहीं पहुंचने पर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर रूबरू गवाहान वक्त 6.43 पीएम पर वार्ता करवाये जाने पर आरोपी ने स्वयं का राजकार्य में व्यस्त होकर आज दिनांक को सम्पर्क होने में असमर्थता जाहिर की गयी। जिस पर आज

दिनांक ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होने से परिवादी को पूर्व में सुपूर्द की गयी रिश्वत राशि गवाह श्री विनोद कच्छवाह से निकलवायी जाकर एक सफेद कागज में लिपटवाकर गवाह श्री विनोद कच्छवाह के पास सुरक्षित रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री मानसिह को हिदायत दी गयी कि कल दिनांक 30.03.2022 को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बताये गये स्थान पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित कर रूकसत किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता, दोनो स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, पत्रावली व वॉयस रिकार्डर के भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर के रवाना होकर भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर कार्यालय पहुंचे। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कच्छवाहा को पूर्व में परिवादी से प्राप्त कर सुपूर्द की गयी रिश्वत राशि सफेद पेपर में लिपटी हुई अवस्था में ही गवाह श्री विनोद कच्छवाहा से कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो–एसयू, जोधपुर के अलमारी में सुरक्षित रखवाई एवं वॉयस रिकार्डर जिसमें आरोपी व परिवादी के मध्य मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली को उक्त अलमारी में सुरक्षित रखा जाकर अलमारी को लॉक कर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी गयी।

वक्त 10.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता को गोपनीयता बनाये रखते हुए कल दिनांक 30.03.2022 को सुबह 08.30 ए.एम. पर उपस्थित आने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया।

दिनांक 30.03.2022 वक्त 07.47 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9928855477 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 8890351893 पर वार्ता कर वक्त 11.30 ए.एम. पर मेगा हाईवे समदड़ी रोड़ पुल के पास उपस्थित मिलने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 09.05 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता कार्यालय भ्र.नि. ब्यूरो–एसयू, जोधपुर उपस्थित आये।

वक्त 09.10 ए.एम. पर कार्यालय से सुरक्षित अलमारी का लॉक मन निरीक्षक पुलिस द्वारा खोला जाकर स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कच्छवाहा द्वारा कल दिनांक 29.03.2022 को रखी गयी रिश्वती राशि पुनः अखबार में लपेटी हुई अवस्था में ही उठवायी जाकर गवाह को अपने पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं वॉयस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा गया।

वक्त 09.20 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी से सम्बन्धित पत्रावली, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमार सिह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री अमरसिह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110, रामचन्द्रसिह कानि. 432 जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 मय चालक श्री प्रेमसिह ड्राईवर कानि. के ब्यूरो कार्यालय का ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट से बालोतरा के लिए रवाना हुए।

वक्त 11.40 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड कानि. 44, श्री रामकुमार सिह कानि. 493, श्री संजय कानि. 587, श्री अमरसिंह कानि. 415, श्री रामकिशोर कानि. 110, रामचन्द्रसिह कानि. 432 जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 मय चालक श्री प्रेमसिंह ड्राईवर कानि. के ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा मेगा हाईवे समदड़ी रोड़ पुल के पास पहुंचा, जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मानसिंह अपनी निजी मोटर साईकिल के साथ उपस्थित मिला। स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कच्छवाहा को पूर्व में सुपूर्द की गयी रिश्वत राशि सफेद कागज से निकलवायी जाकर परिवादी श्री मानसिंह के पहने हुए कमीज के सामने की बायी जेब में गवाह से रखवायी गई तथा जिस सफेद कागज में रिश्वत राशि में रिश्वत राशि लपेटी हुई थी उस सफेद कागज को रूबरू गवाहान जलाया जाकर नष्ट किया गया एवं स्वतंत्र गवाह श्री विनोद कच्छवाहा के दोनो हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये।

वक्त 12.00 पी.एम. पर तक आरोपी श्री चुतराराम स.उ.नि. की पुलिस थाना बालोतरा में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परिवादी के मोबाईल नम्बर 8890351893 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9530437889 पर वक्त 11.47 ए.एम. पर रूबरू गवाहान वार्ता करवाये जाने पर आरोपी द्वारा स्वयं को पुलिस थाना बालोतरा में ही उपस्थित होना एवं परिवादी को पुलिस थाना बालोतरा मे ही बुलाया जाने पर मेगा हाईवे समदड़ी रोड़ पुल से पुलिस थाना बालोतरा के लिए रवाना हुआ।

वक्त 12.15 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को कार्यालय वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री मानसिंह के साथ परिवादी की निजी मोटर साईकिल से सार्वजनिक निर्माण विभाग के

विश्राम गृह बालोतरा के पास पहुंच कार्यालय का वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर पुलिस थाना बालोतरा के पास पहुंच परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहने एवं परिवादी का ईशारा मिलने पर मन् निरीक्षक पुलिस को तुरन्त सूचित करने की हिदायत कर रवाना किया एवं पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के जरिये सरकारी वाहन के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बालोतरा के पास पहुंचने हेतु रवाना हुआ।

वक्त 12.30 पी.एम. पर तक मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के जरिये सरकारी वाहन के सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बालोतरा के पास पहुँच सरकारी वाहन को गोपनीय रूप से खडा कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस थाना बालोतरा के आस पास परिवादी के गोपनीय ईशारे में मुकिम रहे।

वक्त 12.42 पी.एम. पर परिवादी श्री मानसिंह ने पूर्व से निर्धारित गोपनीय इशारा अपने मोबाईल नम्बर 8890351893 से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. के मोबाईल नं. 9413249784 पर कॉल कर बताया कि श्री चुतराराम जी मिल गये हैं और उन्होने मेरे से पैसे ले लिये हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस के पास ही खडे रामचन्द्रसिंह कानि. ने मुझे बताया कि परिवादी का ईशारा मिल गया है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के पुलिस थाना बालोतरा के परिसर में पहुँचे। स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री मानसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह उम्र 35 साल जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम सराणा पोस्ट बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ने वक्त 12.42 पी.एम. पर पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने मोबाईल नम्बर 8890351893 से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. के मोबाईल नं. 9413249784 पर कॉल कर बताया कि श्री चुतराराम जी मिल गये हैं और उन्होने मेरे से पैसे ले लिये हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस के पास ही खडे रामचन्द्रसिंह कानि.ने बताया कि परिवादी का ईशारा मिल गया है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के पुलिस थाना बालोतरा के परिसर में पहुँचे तो थाना परिसर के प्रशासनिक भवन के पिछे खुले चौक में परिवादी श्री मानसिंह एवं उनके पास सादा कपडो में एक व्यक्ति उपस्थित मिला। परिवादी को पूर्व में दिया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा। डिजिटल वॉयस मे रिकॉर्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के तैयार की जावेगी। परिवादी ने पास ही खडे व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही श्री चुतराराम जी सहायक उप निरीक्षक है तथा इन्होने मेरे से अभी–अभी 5,000/– रूपये रिश्वति राशि प्राप्त कर अपने बांये हाथ मे लेकर अपने पहनी हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने मय ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतन्त्र गवाहान के उक्त व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना एवं हमरायान का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसीत व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर होना बताया जिस पर श्री चुतराराम सउनि का दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री रामकिशोर कानि एवं बॉया हाथ कलाई के उपर से श्री रामचन्द्र कानि से सुरक्षा की दृष्टि से पकड़वाये गये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री चुतराराम से परिवादी श्री मानसिंह की तरफ इशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हैं जिस पर आरोपी श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने बताया कि हां मैं इसे जानता हूँ, ये मानसिंह है। जिस पर आरोपी से पूछा कि क्या आपने अभी–अभी श्री मानसिंह से पैसे लिये हैं। इस पर आरोपी श्री चुतराराम सउनि ने कहा कि श्री मानसिंह द्वारा अपने ट्रेक्टर से लकड़ी भर कर बालोतरा में वेचने के लिए लाया था जिसको मैने रूकवाया था तथा आईन्दा निर्बाध रूप से लकडी बेचने की एवज में 5000/– रू प्राप्त किये जो राशि मेर पहने हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब में रखे है। जिस पर थाना स्टाफ से थानाधिकारी के बारे में पुछने पर बताया कि वो ड्युटी से बाहर गये हुए है तथा अभी थाने का कार्यभार श्री ओमाराम उप निरीक्षक पुलिस के पास होना बताया जिस पर श्री ओमाराम उप निरीक्षक पुलिस को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही थाना परिसर के महिला डेस्क कक्ष में करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की जाकर कार्यवाही शुरू करते हुए आरोपी के दोनो हाथ यथा स्थिति में पकड़े रहने देते हुए मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान व आरोपी के मौका से महिला डेस्क कक्ष में पहुंच कार्यवाही के निरन्तर मे आरोपी श्री चुतराराम सउनि के पहनी हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब से स्वतन्त्र गवाह श्री मनीष विश्नोई से रिश्वती राशि निकलवाकर गिनवाई गई तो उक्त रिश्वती राशि 5,000/– रूपये 500–500 रू. के 10 नोट होना पाये गये। रिश्वती राशि 5,000/– रूपये 500–500 रू. के 10 नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के नम्बरों से करवाने हेतु फर्द पेशकशी गवाह श्री विनोद कच्छवाह को सुपुर्द कर गवाह श्री मनीष विश्नोई द्वारा नोटों के नम्बर बोल बोलकर फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाने पर फर्द में अंकित कम संख्या 01 से 10 तक के नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नोट का विवरण	नोट के नम्बर

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1TQ 097337
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0AR 770623
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7FD 061506
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1VN 402126
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0AN 666969
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0AN 666970
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9HB 297742
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3EN 442179
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4FS 599524
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3DB 180799

आरोपी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर दो साफ कॉच की गिलास ट्रेप बॉक्स से निकालकर दोनो गिलासों में थाना परिसर बालोतरा से पीने का पानी मंगवाकर भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री चुतराराम सउनि के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त मटमेले रंग के धोवन को आधा–आधा दो कांच की साफ शिशियो मे भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच–1, आरएच–2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरी कॉच की गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री चुतराराम सउनि के बायें हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्का गुलाबी रंग के धोवन को भी दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच–1, एलएच–2 अंकित किया गया। आरोपी श्री चुतराराम सउनि के पहने हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब से बरामदा रिश्वती राशि 5,000/– रूपये जो सुरक्षा की दृष्टि से गवाह श्री मनीष विश्नोई के पास है, को गवाह से प्राप्त कर बरामदा रिश्वती राशि को कब्जा ब्यूरो लिया जाकर एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री चुतराराम स.उ.नि. के पहनी हुई पेन्ट का धोवन लेना आवश्यक होने से बैरक से पहनने हेतु दुसरी पेन्ट मंगवाकर पहनने हेतु दिया जाकर पहनी हुई पेन्ट उतराई गई पेन्ट का धोवन लिया जाने हेतु एक कॉच की गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर थाने हाजा से साफ पीने का पानी भरवाया गया। उक्त साफ पानी से भरी गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी के पहनी हुई हुए पेन्ट के सामने की बांयी जेब जहां से रिश्वती राशि 5,000/– रू. बरामद हुई, उक्त जेब को उलटवाकर उक्त काच के रंगहीन घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी रंग के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित किया गया तथा उक्त पेन्ट के सामने की बांयी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े की थैली मे डालकर थैली पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सील्ड मोहर कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व थैली पर मार्क–पी अंकित किया गया।

ट्रेप कार्यवाही मे बरामद हुई रिश्वती राशि 5,000/– रूपये, आरोपी श्री चुतराराम स.उ.नि. के दोनों हाथो के धोवनो की शीशीयां व पहने हुए पेन्ट के सामने की बांयी जेब के धोवन की शिशिया एवं पेन्ट को थैली में सील मोहर किया गया है,

आरोपी श्री चुतराराम स.उ.नि.से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर द्वारा परिवादी श्री मानसिंह से अपने ट्रेक्टर से सुखी लकड़ी भर कर बेचने हेतु बालोतरा लाने पर ट्रेक्टर को रूकवाकर थाने पर ले जाने की धमकी देकर 1000/–रू. प्राप्त करना तथा ट्रेक्टर को बिना कोई कार्यवाही किये अपने स्तर पर छोडना तथा निर्बाध रूप से लकडी बेचने की एवज में 5000/–रू रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब में रखना जहां से रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना गिरफ्तार किया जावेगा।

वक्त 4.30 पी.एम. पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

वक्त 5.00 पी.एम. पर आरोपी श्री चुतराराम सउनि को ब्यूरो स्टाफ की निगरानी में सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों गवाहान, परिवादी श्री मानसिंह व ब्यूरो जाब्ता के घटनास्थल का नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया।

वक्त 06.10 पी.एम. पर परिवादी श्री मानसिंह को कल दिनांक 31.03.2022 को वक्त 7.30 ए.एम. पर कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर में उपस्थित होने हेतु रूख्सत किया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी श्री चुतराराम सउनि के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच–1, एल.एच.–2, पहनी हुई पेन्ट का धोवन की शील्ड शुदा शिशियां मार्क पी–1, पी–2 तथा पेन्ट का पैकेट शील्ड शुदा मार्क पी तथा शील्ड शुदा रिश्वति राशि 5,000 रूपये तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस सहित समस्त ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतंन्त्र गवाहान के जरिये सरकारी वाहन चालक प्रेमसिंह के पुलिस थाना बालोतरा से एसीबी कार्यालय एसयू जोधपुर के लिये रवाना हुआ।

वक्त 09.05 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी श्री चुतराराम सउनि के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, एल.एच.–1, एल.एच.–2, पहनी हुई पेन्ट का धोवन की शील्ड शुदा शिशियां मार्क पी–1, पी–2 तथा पेन्ट का पैकेट शील्ड शुदा मार्क पी तथा शील्ड शुदा रिश्वति राशि 5,000 रूपये, तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस सहित समस्त ब्यूरो जाब्ता, दोनों स्वतंन्त्र गवाहान के जरिये सरकारी वाहन चालक प्रेमसिंह के पुलिस थाना बालोतरा से एसीबी कार्यालय एसयू जोधपुर पहुंच प्रकरण से सम्बन्धित समस्त शीलशुदा प्रादर्श को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवाये गये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कल दिनांक 31.03.2022 को वक्त 7.30 ए.एम. पर कार्यालय एसीबी एसयू जोधुपर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूख्सत किया।

वक्त 09.10 पी.एम. पर श्री अयूब खान उप निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ श्री अर्जुन सिंह, श्री प्रकाश मय सरकारी वाहन चालक श्री खम्माराम के आरोपी श्री चुतराराम सउनि का राजकीय चिकित्सालय सेटेलाईट पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 परिक्षण राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय से करवाकर आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में जमा करवाने की तहरीर सुपुर्द कर रवाना किया गया।

वक्त 09.55 पी.एम. पर श्री अयूब खान उप निरीक्षक मय ब्यूरो स्टाफ श्री अर्जुन सिंह, श्री प्रकाश मय सरकारी वाहन चालक श्री खम्माराम के आरोपी श्री चुतराराम सउनि का राजकीय चिकित्सालय सेटेलाईट पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 परिक्षण राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय से करवाकर आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में जमा करवाने हेतु गये हुए निर्देशानुसार आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 परिक्षण करवाकर पुलिस थाना उदयमंदिर की हवालात में जमा करवाकर उपस्थित कार्यालय आए। तहरीरे प्रस्तुत की जिसे शामील रनिंग नोट किया गया। कोविड–19 परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आईन्दा शामिल पत्रावली की जावेगी।

दिनांक 31.03.2022 वक्त 08.00 ए.एम. पर तक दोनों स्वतंन्त्र गवाहान एवं परिवादी कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री मानसिंह एवं आरोपी श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य दिनांक 26.03.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप को दोनो गवाहान व परिवादी श्री मानसिंह के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कानि. श्री रामचन्द्र सिंह से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री मानसिंह के समक्ष कम्प्यूटर के इनबिल्ट स्पीकर से सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री चुतराराम की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व एक सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीया मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. को जमा करवानें हेतु सुपर्द की गई।

वक्त 09.30 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री मानसिंह एवं आरोपी श्री चुतराराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य दिनांक 30.03.2022 को रिश्वती राशि लेन–देन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप को दोनों गवाहान व परिवादी श्री मानसिंह के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कानि. रामचन्द्र सिंह से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री मानसिंह के समक्ष कम्प्यूटर के इनबिल्ट स्पीकर से सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि वक्त लेन देन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री चुतराराम की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की अलग अलग थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व एक सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीया मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. को जमा करवानें हेतु सुपर्द की गई।

वक्त 11.00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर द्वारा परिवादी श्री मानसिंह से से अपने ट्रेक्टर से सुखी लकड़ी भर कर बेचने हेतु बालोतरा लाने पर ट्रेक्टर को रूकवाकर थाने पर ले जाने की धमकी देकर 1000/–रू. प्राप्त करना तथा ट्रेक्टर को बिना कोई कार्यवाही किये अपने स्तर पर छोडना तथा निर्बाध रूप से लकडी बेचने की एवज में 5000/–रू रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने हुई पेन्ट के सामने की बांयी जेब में रखना जहां से रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया।

आरोपी श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर के दाहिने हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में मटमैला रंग, आरोपी के बॉये हाथ की अंगूलियों/अंगूठे के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग एवं आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई के लिये गये धोवन में हल्का गुलाबी रंग आना, 5,000/– रूपये रिश्वति राशि आरोपी पहनी पेन्ट के सामने की बांयी जेब से बरामद होना। इस तरह श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं।

अतः आरोपी श्री चुतराराम पुत्र श्री रायमलराम उम्र 58 वर्ष निवासी सिदाणियो की ढाणी, कगाउ तहसील व जिला बाडमेर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

(अमराराम खोखर)
... पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चुतराराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना बालोतरा जिला बाडमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 105/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

31.3.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 930-34 दिनांक 31.03.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला बाडमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।